

अनिवार्य स्थानान्तरण हेतु विकल्प पत्र का प्रारूप

1. अधिकारी/कर्मचारी का नाम— एच0के0 पुरोहित
2. गृह जनपद— चमोली।
3. पदनाम— उप निदेशक मत्स्य।
4. जन्मतिथि— 16.5.1962
5. 10 ऐच्छिक स्थान (रिक्तियों के सापेक्ष प्राथमिकता क्रम में) जहाँ स्थानान्तरण के इच्छुक हों— _____

6. धारा-7 (घ) के अन्तर्गत छूट (सुगम से दुर्गम में अनिवार्य स्थानान्तरण हेतु) के दायरे में आते हो तो विवरण अथवा प्रमाण पत्र संलग्न करें—

1. गौड़ी (दुर्गम)

55 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हैं अतः अधिनियम की धारा -7(घ) के अन्तर्गत (वरिष्ठ कार्मिक) छूट के दायरे में आते हैं।

आवेदनकर्ता के हस्ताक्षर

नाम/पदनाम— एच0के0 पुरोहित

मो0न0— 20 निदेशक

8859001999

सक्षम अधिकारी की संस्तुति (अनिवार्य रूप से):—

मत्स्य विभाग, उत्तराखण्ड में समूह-क के अधिकारियों के कुल 07 पद स्वीकृत हैं, जिनमें 01 पद निदेशक, 02 पद संयुक्त निदेशक तथा 04 पद उप निदेशक के स्वीकृत हैं। संयुक्त निदेशक के 02 पद वर्तमान में रिक्त हैं। उप निदेशक के 04 पदों में से 02 पद निदेशालय हेतु तथा 01-01 पद कुमायूँ तथा गढ़वाल मण्डल हेतु स्वीकृत हैं। उप निदेशक के उक्त 04 पदों के सापेक्ष वर्तमान में 03 पद अर्ह अधिकारी उपलब्ध नहीं होने के कारण रिक्त चल रहे हैं। उप निदेशक के 01 पद पर श्री एच0के0पुरोहित निदेशालय में कार्यरत हैं। वर्ष-2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने एवं विभाग तथा निदेशालय के कार्यों के सफल व सुचारु संचालन के दृष्टिगत श्री एच0के0 पुरोहित, उप निदेशक मत्स्य की मत्स्य निदेशालय में ही तैनाती बनाये रखना अति आवश्यक है। श्री पुरोहित 55 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हैं तथा स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-7(घ) के अन्तर्गत वरिष्ठ कार्मिक छूट के दायरे में आते हैं। अतः श्री एच0के0पुरोहित उप निदेशक मत्स्य का स्थानान्तरण अधिनियम-2017 के अधीन निदेशालय से अन्यत्र स्थानान्तरण की संस्तुति नहीं की जाती है।

संस्तुति कर्ता अधिकारी का

नाम/पदनाम हस्ताक्षर सहित